

Order sheet [Contd]

case No: ba- 261/2017 B.A

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
20/07/17 01:30 to 1:45 pm	<p>आवेदक/अभियुक्त रवि कुशवाह द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता उप0।</p> <p>राज्य द्वारा श्री बी.एस. बघेल अतिरिक्त लोक अभियोजक उप0।</p> <p>थाना मौ के अपराध क्रमांक 173/17 अंतर्गत धारा-379 भा0दं0सं0 की कैफीयत एवं केस डायरी प्राप्त।</p> <p>आवेदक/अभियुक्त के जमानत आवेदन अंतर्गत धारा-439 दं0प्र0सं0 के साथ आवेदक रवि कुशवाह के भाई केशव सिंह का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। शपथपत्र एवं आवेदन में यह बताया गया है कि यह आवेदक का प्रथम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा-439 दं0प्र0सं0 का है। इस प्रकृति का कोई अन्य आवेदन समकक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में न तो प्रस्तुत किया गया है और न ही विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है। केस डायरी से भी ऐसा ही स्पष्ट है।</p> <p>जमानत आवेदन पर उभयपक्ष के तर्क सुने गए।</p> <p>आवेदक/अभियुक्त की ओर से यह व्यक्त किया गया है कि उसने कोई अपराध नहीं किया है। उसे उक्त अपराध में झूठा फंसाया गया है। उससे कोई भी वस्तु बरामद नहीं हुई है। उक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।</p> <p>राज्य की ओर से घोर विरोध करते हुए जमानत आवेदन निरस्त किए जाने पर बल दिया है।</p> <p>उभयपक्ष को सुने जाने तथा कैफीयत व केस डायरी का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि अभियोजन के अनुसार प्रदीप जाटव ने अन्य सहअभियुक्तगण रामदास गुर्जर, कल्ला गुर्जर एवं अमरसिंह के साथ मिलकर फरियादी भगवान सिंह जाटव की एक भैंस, पड़ोसी भोलाराम जाटव की दो पड़िया व एक पड़ा दिनांक 10.07.17 को दोपहर 02:00 बजे के लगभग गंभीर सिंह के पुरा के हार से चराते समय चोरी कर ली। जिसकी रिपोर्ट थाना मौ में की गई। उक्त भैंस, दो पड़िया व एक पड़ा कुल कीमती 1,50,000/- रुपए अभियुक्त रवि एवं प्रदीप के आधिपत्य से जप्त की गई है। इस प्रकार समूह में चोरी की गई है।</p> <p>आवेदक/अभियुक्त को सात दिवस से निरोध में होना बताया गया है। परंतु आवेदक के कृत्य को देखते हुए, उसके निरोध की अवधि को देखते हुए तथा मामले की संपूर्ण परिस्थितियों, तथ्यों तथा चोरी की गई भैंस आदि की कीमत को देखते हुए आवेदक रवि को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। फलस्वरूप जमानत आवेदन निरस्त किया जाता है।</p> <p>केस डायरी आदेश की प्रति के साथ वापिस की जावे।</p> <p>नतीजा दर्ज करने के बाद यह आदेश पत्रिका एवं प्रपत्र</p>	

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	<p>अभिलेखागार में भेजा जावे।</p> <p>(मोहम्मद अजहर)</p> <p>द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश</p> <p>गोहद जिला भिण्ड</p>	